रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-28062022-236873
SG-DL-E-28062022-236873

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 342]	दिल्ली, सोमवार, जून 27, 2022/आषाढ़ 6, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं.157
No. 342]	DELHI, MONDAY, JUNE 27, 2022/ASHADHA 6, 1944	[N. C. T. D. No. 157

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शिक्षा निदेशालय: शिक्षा का अधिकार शाखा

अधिसूचना

दिल्ली, 27 जून, 2022

फा. सं. डी. ई. 23 (92)/आर.टी.ई/**2019/169.**–नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 16 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप-राज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के एतद्द्वारा दिल्ली के बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाया गया हैं: अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों को दिल्ली के बच्चों का नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियम, 2020 कहा जायेगा।

(2) यह नियम दिल्ली राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे ।

2. दिल्ली में बच्चो को नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 21 के उपरांत निम्नलिखित नियम अन्तः स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:

"21ए धारा 16 की उप-धारा (3) के तहत जिस तरीके और शर्तों के अधीन एक बच्चे को वापस रखा जा सकता है, उसे सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा "

उप-राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र,
दिल्ली के आदेश से और उनके नाम पर,

हिमांशु गुप्ता, आईएएस निदेशक (शिक्षा)

DIRECTORATE OF EDUCATION: RIGHT TO EDUCATION BRANCH

NOTIFICATION

Delhi, the 27 June, 2022

F. No. DE.23(92)/RTE/2019/169.—In exercise of the powers conferred by section 38 read with sub-section (3) of section 16 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules, to amend the Delhi Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011, namely:-

1. (1) These rules may be called the Delhi Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Rules, 2020.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. In the Delhi Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011, after rule 21, the following rule shall be inserted, namely:-

   "21A. The manner and conditions subject to which a child can be held back under sub-section (3) of section 16, will be notified by the Government.

By Order and in the Name of
Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

HIMANSHU GUPTA, IAS Director (Education)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.06.28 16:37:13 +05'30'